न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूनकरनसर

पीठासीन अधिकारी – के.सी.मीना, RAS

राजस्व अपील संख्या – 03/2018 **दायर दिनांक – 5.02.18**

मु0 जन्नत बानो पत्नि नत्थू खां जाति मुसलमान (तेली) निवासी सर्वोदय बस्ती, बीकानेर।

– अपीलांट

बनाम

1. योगेश अग्रवाल पुत्र श्री जयकिशन अग्रवाल जाति अग्रवाल निवासी 5–डी–222 जेएनवी कॉलोनी, बीकानेर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत सोढ़वाली जरिये सरपंच तहसील लूनकरनसर जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूनकरनसर।

–रेस्पोन्डेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थित –

1. श्री रामकरण मूंड, एडवोकेट अपीलांट की ओर से।

–:आदेश:–

दिनांक :– 22.01.2019

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 पेश कर निवेदन किया गया है कि अदालत मातहत जैर रकबा ग्राम रोही किस्तूरिया तहसील लूनकरनसर में अपीलांट के नाम से खसरा नं0 439/14 में 50.00 बीघा में से 3.00 बीघा व 47.00 बीघा रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 के पिता जयकिशन अग्रवाल पुत्र केदारनाथ अग्रवाल के नाम से जरिये बैयनामा दिनांक 11.06.2007 को खातेदार श्रीमती गुमानकंवर पत्नि स्व. सांवतसिंह, सिरूकंवर, बैनाकंवर, बाधूकंवर पि0 सांवतसिंह जाति राजपूत निवासीगण आसलसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू के नाम से बतौर काश्तकार स्थित थी। उपरोक्त भूमि का मूल खातेदारान ने सेन्ट्रल नोटेरी पब्लिक दिनांक 13.04.2007 से श्री भंवर अली पुत्र बाबू खां तेली मुसलमान निवासी राणीसर बास, बीकानेर को मुख्त्यारेआम नियुक्त किया हुआ था। अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 के पिता जयकिशन द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 11.06.2007 को उपरोक्त भूमि को खरीद कर उपपंजीयक, बीकानेर के समक्ष उपस्थित होकर बैयनामा पंजीबद्व रूबरू गवाहान के पंजीयन कर सुपुर्द कर दिया। रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 खरीददार जयकिशन का देहान्त हो चुका है तथा रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 एकमात्र जायज वारिस होने से पक्षकार बनाया गया है। अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 के पिता ने बैयनामा करवाते ही अपना कब्जा मौके पर ले लिया व उपरोक्त भूमि काश्त करनी शुरू कर दी। दिनांक 21.12.2017 को नामान्तरकरण की नकल लेने पर जैर अपील आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई इसलिए जानकारी से यह अपील अन्दर मियाद है। रेस्पोन्डेन्ट सं0 2 द्वारा जो नामान्तरकरण सं0 1047 दिनांक 15.08.2007 को निरस्त किया है वह क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया है क्योंकि ग्राम पंचायत को कब्जा देखने का किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सबूत पेश करने व सुनवाई का कोई

Scanned by CamScanner

अवसर नहीं दिया गया, तमाम कार्यवाही सरासर इकतरफा तौर पर बाला बाला ही की गई। अतः जैर अपील आदेश दिनांक 15.08.2007 अदालत मातहत खिलाफ कानून कायदा इन्साफ के होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर जैर अपील आदेश दिनांक 15.08.2007 निरस्त किया जावे।

2. सर्वप्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 के नाम जारी रजिस्टर्ड नोटिस के बावजूद उनके उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील अपीलांट की इकतरफा बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम रोही किस्तूरिया के खसरा नं0 439/14 में 50.00 बीघा में से 3.00 बीघा व 47.00 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 के पिता जयकिशन अग्रवाल द्वारा जरिये बैयनामा दिनांक 11.06.2007 को खातेदार श्रीमती गुमानकंवर पत्नि स्व. सांवतसिंह, सिरूकंवर, बैनाकंवर, बाधूकंवर पि0 सांवतसिंह जाति राजपूत निवासीगण आसलसर तहसील सरदारशहर जिला चुरू से खरीद की गई थी। उपरोक्त भूमि को खरीद कर उपपंजीयक, बीकानेर के समक्ष उपस्थित होकर बैयनामा पंजीबद्व रूबरू गवाहान के पंजीयन कर सुपुर्द कर दिया। अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 के पिता ने बैयनामा करवाते ही अपना कब्जा मौके पर ले लिया व उपरोक्त भूमि काश्त करनी शुरू कर दी। रेस्पोन्डेन्ट सं0 2 द्वारा जैर अपील आदेश नामान्तरकरण सं0 1047 दिनांक 15.08.2007 को निरस्त किया है वह क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया है क्योंकि ग्राम पंचायत को कब्जा देखने का किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं है तथा जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सबूत व सुनवाई का अवसर ही नहीं दिया गया, तमाम कार्यवाही सरासर इकतरफा तौर पर बाला बाला ही की गई। अतः जैर अपील आदेश दिनांक 15.08.2007 अदालत मातहत खिलाफ कानून कायदा इन्साफ के होने से खारिज योग्य है। अतः जैर अपील आदेश दिनांक 15.08.2007 निरस्त किया जावे एवं अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे

4. हमने वकील अपीलांट की बहस को सुना एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि ग्राम रोही किस्तूरिया के खसरा नं0 439/14 की 50.00 बीघा भूमि में से 3.00 बीघा व 47.00 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट सं0 1 के पिता जयकिशन अग्रवाल द्वारा जरिये बैयनामा भूमि के खातेदार से खरीदशुदा भूमि है। अदालत मातहत द्वारा जैर अपील आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है इसलिए जैर अपील आदेश कायम रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं जैर अपील आदेश दिनांक 15.08.2007 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार, लूनकरनसर को रिमांड किया जाता है कि विक्रय पत्र के आधार पर नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करें।

यह आदेश आज दिनांक 22.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner